

दिनांक- 19.06.2025

National Scholarship Portal में सत्र 2025-26 हेतु आनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धित सूचना

1- For New/Fresh Registration/ For Renewal and Online Scholarship from Fill
Date – **15-06-2025 to 15-09-2025.**

2- For apply scholarship- Website- <http://scholarships.gov.in>

3- छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज जो अपलोड होंगे-

- SCANNED COPY OF PARENTAL INCOME CERTIFICATE (DULY SIGNED BY REVENUE AUTHORITY/TEHSILDAR. FORM 16 IS NOT ACCEPTABLE)
- Cast Certificate
- Domicile Certificate
- Self Attested Certificate of pervious academic marksheet
- Scanned Copy of the passbook clearly showing the account number and name of student
- Bonafide Certificate.
- Scanned copy of certificate of passing 10th or equivalent examination
- Fee Receipt of Current year course
- Student Photograph
- Self Certified Scanned Copy of Counselling Certificate for OBC Student.
- Bonafied (Download from Website)

4- **Scholarship** आवेदन करने के पश्चात आवेदन फार्म एवं समस्त अपलोड दस्तावेज का प्रिंट स्वहस्ताक्षर कर दिनांक **18.09.2025** तक प्रशासनिक कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, उसके पश्चात ही आपके आवेदन संस्था द्वारा सत्यापित कर अग्रसरित किये जायेंगे।

5- आवेदन करने हेतु पात्र छात्र/छात्रा- SC/ST/OBC & EBC (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग)

6- ऑनलाईन पंजीकरण करने से पूर्व ओ0टी0आर0 करना अनिवार्य है।

(प्रो (डा0) ए0 के0 झा)

Principal / Superintendent
Himalayiya Ayurvedic (P.G.) Medical
College & Hospital
Fatehpur Tanda, Jeevanwala, Doiwala
Dehradun, Uttarakhand

हिमालयीय आयुर्वेदिक (पी0जी0) मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय

ग्राम-फतेहपुर टांडा, जीवनवाला, पोस्ट-वाया-डोईवाला, देहरादून

पोर्टल पर पंजीकरण और तत्पश्चात आवेदन करते हुए छात्र/छात्राएं निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें-

- अपना पता भरते समय मूल अथवा स्थाई पता लिखें, क्योंकि आपको छात्रवृत्ति आपके मूल जनपद से ही प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान से यह सूचना भरें।
- अपने बैंक खाते का नम्बर और आईएफएससी कोड ध्यान से भरें। इसमें किसी भी तरह की गलती होने पर यदि भुगतान नहीं होता है तो दायित्व आपका होगा।
- यदि आपकी पिछले वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है तो उस स्थिति में भी आप आवेदन पत्र भर दें। मार्कशीट हेतु जो भी पिछली (Latest) मार्कशीट उपलब्ध हो, उसे अपलोड कर दें। आपको डिफेक्ट पश्चात अपनी नयी मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होगा।
- यदि आप किसी प्राइवेट (निजी शिक्षण संस्था) में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको आपकी वर्गानुसार छात्रवृत्ति के साथ ट्यूशन फीस जो शासकीय कॉलेज की न्यूनतम दर से देय होगी।
- नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति में मैनेजमेंट कोटा, स्पोर्ट एडमिशन आदि तरीकों से एडमिशन लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा, जो छात्र काउंसलिंग के माध्यम से हो उन्हीं को छात्रवृत्ति देय होगा।
- छात्र-छात्रा अपने कॉलेज से तुरंत सम्पर्क कर लें, यह भी सुनिश्चित करें कि आपको मोबाइल नम्बर सही अंकित है।
- छात्र-छात्राएं आवेदन पत्र खुद भरें। यदि सीएससी अथवा किसी अन्य माध्यम से भरवा रहे हैं तब भी स्वयं ध्यान दें कि आपकी जानकारी सही से भरी है। अपने स्तर से कोई त्रुटिपूर्ण अंकन हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर आप (swditcell@gmail-com) पर ई-मेल कर सकते हैं या फिर 6395221188 पर कॉल कर सकते हैं। आपको हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

➤ **One Time Registration (OTR) किए जाने हेतु आवश्यक क्रियाकलाप एवं दिशा-निर्देश :-**

- ❖ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु ओटीआर करना अनिवार्य है यह छात्र के सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगा।
- ❖ ओटीआर जनरेट करने के लिए आधार आवश्यक है।
- ❖ जिन छात्रों के पास आधार कार्ड संख्या मौजूद नहीं है वह आधार नामांकन आईडी (EID) का उपयोग करके ओटीआर जनरेट कर सकते हैं। आधार नामांकन आईडी (EID) के माध्यम से जिन छात्रों द्वारा ओटीआर जनरेट किया जाएगा उन सभी के द्वारा एक माह के भीतर अपने आधार की जानकारी को पोर्टल पर अपडेट करना होगा।
- ❖ यदि नाबालिक छात्रों के पास आधार कार्ड संख्या मौजूद नहीं है तो वह सभी अपने माता-पिता/विधिक संरक्षक (Legal Guardian) के आधार कार्ड संख्या का उपयोग कर पंजीकरण कर सकते हैं।
- ❖ प्रत्येक छात्र की एक ओटीआर आईडी मान्य होगी, जबकि माता-पिता/विधिक संरक्षक (Legal Guardian) अधिकतम दो ओटीआर (दो बच्चों हेतु) की अनुमति है। यदि किसी छात्र के एक से अधिक ओटीआर पाए जाते हैं, तो उस छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा।
- ❖ पोर्टल पर आधार/आधार नामांकन आईडी (EID) से मिलान करने के लिए अन्य प्रासंगिक जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि व लिंग) को अद्यतन किए जाने का विकल्प दिया गया है।
- ❖ अपने आधार के साथ आवेदन करने वाले नाबालिक छात्रों के माता-पिता/विधिक संरक्षक (कानूनी अभिभावक) (Legal Guardian) यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिक छात्र-छात्रा के आधार नामांकन के लिए आवेदन करते समय ओटीआर में उपयोग किए गए समान जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि व लिंग) को अद्यतन करने का विकल्प दिया गया है।
- ❖ ओटीआर एक यूनिक नम्बर है जो एनएसपी पर ईकेवाईसी पूर्ण होने के उपरान्त जनरेट होता है।
- ❖ **Reference संख्या** का प्रयोग कर eKYC by FaceAuth विकल्प का चयन करने के उपरान्त Face Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त एनएसपी पर ओटीआर संख्या प्राप्त होगी।
- ❖ ओटीआर (**One Time Registration**) के सफल पंजीकरण हेतु Android आधारित उपकरणों पर NSP OTR एवं Aadhar Face RD Application को Google Play Store से डाउनलोड करना होगा।
- ❖ जिन छात्र-छात्राओं को **Reference संख्या** प्राप्त नहीं हुई है ऐसे छात्र-छात्राओं को सर्वप्रथम NSP OTR एप्लीकेशन पर दिए गए विकल्प Register का चयन कर **Reference संख्या** जनरेट करनी होगी।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्नवत छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं
(15-जून-2025 से 30-सितंबर-2025 तक)

पूर्वदशम छात्रवृत्ति



पूर्वदशम छात्रवृत्ति



दशमोत्तर छात्रवृत्ति



- दशमोत्तर कक्षाओं के कोर्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है।
- दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को अकादमिक अलाउंस (ग्रुप के अनुसार) एवं ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (तय सीमा तक) प्रदान की जाती है।
- अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति दशमोत्तर योजनाओं में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में की जाती है। फीस निर्धारण नहीं होने पर अशासकीय कॉलेजों में शासकीय कॉलेज की दरों पर प्रतिपूर्ति होती है।
- ओबीसी एवं ईबीसी वर्ग की दशमोत्तर कक्षाओं हेतु ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस वर्ग हेतु योजना फंड लिमिटेड है।
- छात्रवृत्ति आवेदन के समय आधार सीडिंग वाले बैंक खाते की सूचना अंकित किया जाना अनिवार्य है। आधार सीडिंग नहीं होने पर भुगतान संभव नहीं होगा।

NSP URL : [HTTPS://SCHOLARSHIPS.GOV.IN](https://scholarships.gov.in)

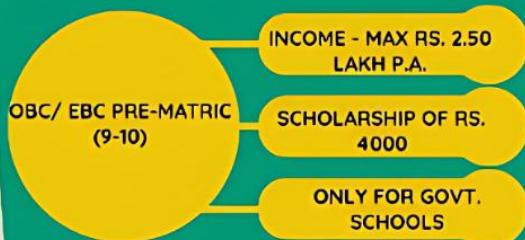
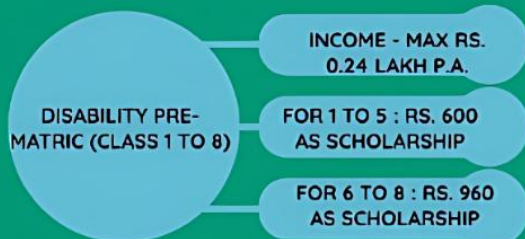
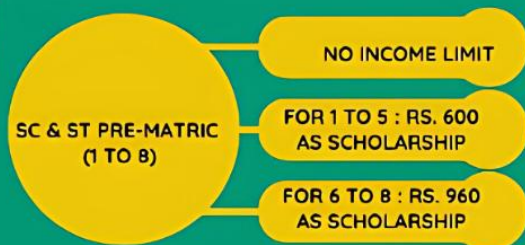
1800 180 4236 (TOLL FREE) 6395221188 (WHATSAPP & CALL)

swditcell@gmail.com socialwelfare.uk.gov.in

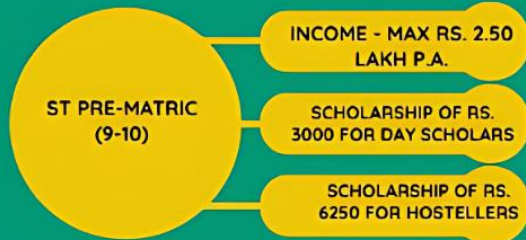
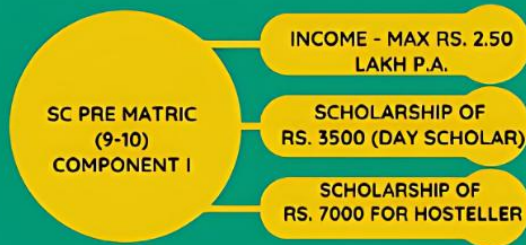
दिव्यांग छात्र अपने वर्गानुसार भी छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं।

APPLICATIONS ARE INVITED ON NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL FOR THE FOLLOWING SCHEMES
(15TH JUNE 2025 TO 30TH SEP 2025)

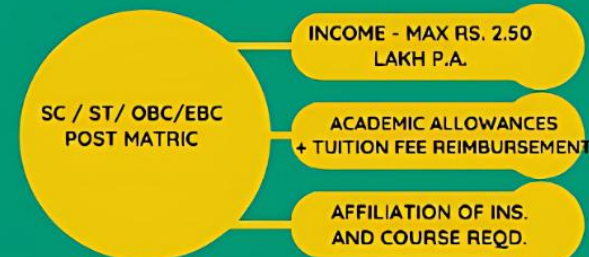
PRE-MATRIC SCHOLARSHIPS



PRE-MATRIC SCHOLARSHIPS



POST-MATRIC SCHOLARSHIPS



- ALL COURSES HAVE BEEN GROUPED INTO 4
- ACADEMIC ALLOWANCES FOR ALL CATEGORIES ARE DIFFERENT (DETAILS AVAILABLE ON WEBSITE)
- IN SC AND ST SCHOLARSHIP, TUITION FEE REIMBURSEMENT IS SUBJECT TO FEE STRUCTURE BEING APPROVED BY FEE FIXATION COMMITTEE. THE FEE STRUCTURE OF GOVT. INSTITUTES IS TAKEN INTO ACCOUNT.
- UNDER OBC/EBC SCHOLARSHIP THE TUITION FEE REIMBURSEMENT HAS BEEN FIXED BY GOI. THIS SCHEME IS FUND LIMITED.
- AADHAR SEEDDED BANK ACCOUNT DETAILS TO BE ENTERED MANDATORILY AT THE TIME OF REGISTRATION
- DIFFERENTLY ABLED STUDENTS MAY APPLY UNDER THEIR RESPECTIVE CATEGORY (SC/ ST/ OBC/ EBC(GEN))

NSP URL : <https://scholarships.gov.in/>

1800 180 4236 (TOLL FREE) 6395221188 (WHATSAPP & CALL)
swditcell@gmail.com socialwelfare.uk.gov.in